

न्यायालय:- ऋषिराज मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भानपुरा, जिला मंदसौर म.प्र.

SUM: 131 -2022

संक्षिप्त विचारण अंतर्गत धारा-263, 264 द.प्र.सं. 1973

समरी क्रमांक 131/22

अपराध किये जाने की दिनांक 11/10/22

रिपोर्ट अथवा परिवाद की दिनांक- 11/10/22

अभियोगी/परिवादी का नाम व पता आरक्षी केन्द्र :- म.प्र. राज्य द्वारा थाना भानपुरा

अभियुक्त का नाम पैतृकता और निवास

अभियुक्त:-

रघुश्याम डा० बापुलाल मेघवाल

उम - 30 साल नि० ग्राम पंग्रा थाना भानपुरा

परिवादित अपराध का विवरण

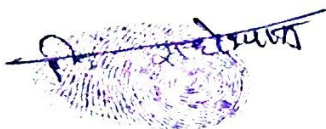
1. आपने दिनांक 11/10/22 को समय लगभग 19:30 बजे के मध्य स्थान चौराहा नदी पुलिया सालावाड़ रोड अंतर्गत थाना भानपुरा सार्वजनिक स्थान पर मदिरा पान करने के प्रयोजन के लिए पाए गए।

इस प्रकार वह अपराध कारित किया जो म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 36(बी) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान क्षेत्र में आता है।

(ऋषिराज मिश्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भानपुरा जिला मंदसौर म.प्र.

अभियुक्त का अभिवाक एवं परीक्षण

अभियुक्त द्वारा स्वीकृति
अपराध स्वीकार किया



(ऋषिराज मिश्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भानपुरा जिला मंदसौर म.प्र.

SUM : 131 -2022

न्यायालय:-ऋषिराज मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भानपुरा, जिला मंडसौर म.प्र.

∴ निर्णय ∴

(आज दिनांक 12.10.22 को खुले न्यायालय में घोषित)

आरक्षी केन्द्र भानपुरा के द्वारा अभियुक्त

रधिराम S/o बापुलाल मेघवाल 30 ति. पांगा के विरुद्ध म.

प्र. आबकारी संशोधन अधिनियम 2000 की धारा- 36(बी) के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

2. अभियुक्त के विरुद्ध अधिरोपित म.प्र. आबकारी संशोधन अधिनियम 2000 की धारा- 36(बी) के अपराध की विशिष्टियां उसे पढ़कर सुनाई, समझायी जाने पर अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छयापूर्वक उक्त आरोपित अपराध कारित करना स्वीकार किया गया।

3. अभियुक्त की स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को म.प्र. आबकारी संशोधन अधिनियम 2000 की धारा- 36(बी) की दोषसिद्धि पर 500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में उसे 07 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जाये।

4. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति शराब उपयोगहीन होने से नष्ट की जाए।

5. कार्यवाही समाप्त करने का दिनांक 12.10.22

मेरे उद्बोधन पर टाईप किया गया।

(ऋषिराज मिश्रा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भानपुरा जिला मंडसौर म.प्र.